सेमीकंडक्टर इकाइयों को सात करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी देकर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के बड़े पैमाने पर निर्माण की राह आसान हुई है। निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी के साथ इंटरेस्ट सब्सिडी, लैंड सब्सिडी, स्टांप फीस और रजिस्ट्रेशन फीस के साथ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 7 करोड़ तक की राहत दी गई है। उन्होंने सोमवार को बताया कि कैपिटल सब्सिडी के तहत केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी का 50 प्रतिशत दिया जाएगा।

200 करोड़ तक के निवेश वाली इकाइयों को 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (ब्याज दर पर), प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम एक करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति 7 वर्ष तक की जाएगी। इस तरह एक इकाई को अधिकतम सात करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी मिलेगी। 200 एकड़ जमीन के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। मंत्री ने बताया कि दस वर्ष तक विद्युत ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। 25 वर्ष तक बिजली दूसरे राज्यों से खरीदने पर ट्रॉसमिशन शुल्क पर 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। इसके अलावा पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकतम 20 लाख और श्रमिकों के आवास के लिए अधिकतम 10 करोड़ का लाभ मिलेगा।

जीएसटी के बाद शराब और रजिस्ट्री ने भरा सरकार का खजाना

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य कर करेत्तर राजस्व वाले मदों में वित्त वर्ष 2023-24 की फरवरी में 17,742 करोड़ का राजस्व मिला है। जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की फरवरी में 14,928 करोड़ का राजस्व मिला था। इस प्रकार पिछली फरवरी से इस फरवरी में 2813 करोड़ राजस्व अधिक प्राप्त हुआ। जीएसटी के बाद आबकारी और स्टांप से अच्छा राजस्व मिला है।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि जीएसटी के अन्तर्गत फरवरी 2024 में 6412 करोड़ मिले, जबकि गत वर्ष फरवरी में 5190 करोड़ मिले थे। इस फरवरी वैट में 2323 करोड़ मिले, जबकि पिछल साल की फरवरी में 2241 करोड़ प्राप्त हुए थे। इस वर्ष फरवरी में आबकारी से 5138 करोड़ मिले। ये पिछली फरवरी से 681 करोड़ रुपये ज्यादा है। स्टाम्प व निबन्धन के अन्तर्गत फरवरी की राजस्व प्राप्ति 2518.33 करोड़ रही, जबकि पिछले साल फरवरी में 1942 करोड़ मिले थे। भू-तत्व और खनिकर्म में भी पिछली फरवरी के मुकाबले इस फरवरी 82 करोड़ रुपये ज्यादा प्राप्त हुए। ब्यूरो